

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म0प्र0)
आदेश

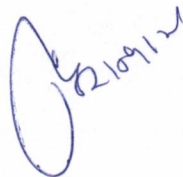
क्रमांक ~~1761~~ / दो-11-04 / 2022

भोपाल दिनांक 02 सितम्बर, 2025

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के मेमो क्रमांक बी/5710/चार-3-1/65 (भोपाल) दिनांक 29.08.2025 द्वारा प्रदान की गई अनुमति अनुसार इस स्थापना के दिवंगत शासकीय सेवक स्वर्गीय श्रीमती रचना खरे, (सहायक ग्रेड-दो) के आश्रित परिवार से अनुकंपा नियुक्ति आवेदिका कु. यशी खरे, पुत्री स्व. श्रीमती रचना खरे, निवासी-एल.आई.जी. 11/8 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बागमुगालिया, एक्सटेंशन, भोपाल (म.प्र.) को सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के पद पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतनमान रुपये 19500-62000 (लेवल-4) में पूर्णतः अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नलिखित सेवा की सामान्य शर्तों के अध्याधीन कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

//नियुक्ति की शर्तें//

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जो किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन भत्ते के समतुल्य राशि का भुगतान कर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी तथा यदि आप सेवात्याग करना चाहें तो एक माह पूर्व लिखित सूचना अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन-भत्तों के समतुल्य राशि संबंधित शीर्ष में शासन के पक्ष में चालान द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जावेगी।
2. आवेदिका द्वारा सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के फलस्वरूप मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2016 के अनुसार वांछित तकनीकी अर्हता एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013 /1/3 दिनांक 29.09.2014 की कण्डिका 6.5 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियमानुसार 3 वर्ष की समयावधि में म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त इस्टीमेशन से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।



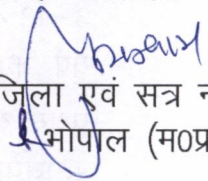
3. आवेदिका द्वारा अनुकंपा नियुक्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत विकल्प अनुसार सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति होने के पश्चात नियत समयावधि में उपरोक्त क्रमांक 03 अनुसार वांछित तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण न करने के फलस्वरूप सेवा समाप्त की जा सकेगी, तदोपरांत भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर पुनः अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाना विचारणीय नहीं होगा।
4. जिला मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय, भोपाल द्वारा प्रदत्त शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी आरोग्यता प्रमाण पत्र 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा तत्काल प्रभाव से सेवायें समाप्त की जा सकेगी तथा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आरोग्यता प्रमाण पत्र में अनफिट पाये जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
5. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 6(6) अनुसार दो से अधिक संतान न होने का पालन सुनिश्चित करेंगे, उक्त नियम का पालन न करने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के नियम लागू होंगे।
7. प्रथम नियुक्ति के समय सेवा-पुस्तिका में अपने समस्त शैक्षणिक व अर्हकारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर उल्लेख कराना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति के शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि हेतु किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेकर अथवा स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अलावा किसी अन्य नियोजन के लिए बिना पूर्व अनुमति व अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये बिना आवेदन नहीं कर सकेंगे।
8. नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक एवं अर्हकारी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कराये जाने के दौरान उक्त दस्तावेज असत्य अथवा कूटचिंतित पाये जाने पर आपके विरुद्ध अनुशासनिक तथा अभियोजन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।
9. यह नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से चरित्र सत्यापन कराए जाने पर सेवा के अयोग्य पाये जाने की दशा में आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर अभियोजन के भागी होंगी।

10. शासकीय सेवक का सम्पूर्ण समय शासनाधीन है, जिनकी किसी भी समय सेवायें ली जा सकती हैं। इसके अलावा अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे और न ही सामान्यतः स्वीकृत अवकाश से अधिक उपभोग करेंगे।
11. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016, संशोधित नियम 2019, के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों को पालन करना अनिवार्य होगा।
12. चयनित अभ्यर्थी का तीन वर्ष तक अंतरमण्डलीय स्थानांतरण सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासकीय आधार पर अंतरमण्डलीय स्थानांतरण किया जा सकेगा।
13. अभ्यर्थी की नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा के अध्याधीन की जा रही है। उक्त परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष न्यूनतम वेतन का 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टायपेण्ड का भुगतान किया जावेगा।
14. अनुकंपा नियुक्ति के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार आपको स्वर्गीय स्व. श्रीमती रचना खरे के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करना होगा, बाद में किसी समय यह प्रमाणित हो जाये कि आपके द्वारा परिवार के आश्रित सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो आपकी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
15. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।


(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक 7889 / दो-11-04 / 2022 भोपाल दिनांक 02 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि:-

1. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल
2. प्रभारी अधिकारी कार्यालय/ कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय भोपाल
3. संबंधित कुमारी यशी खरे, पुत्री स्व. श्रीमती रचना खरे, निवासी-एल. आई.जी. 11/8 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बागमुगालिया, एक्सटेंशन, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।
4. समस्त सहायक लेखापाल/देयक लिपिक/सेवा पुस्तिका संधारण लिपिक/ओ.एम. कार्यालय अनुभाग/सी.पी.एफ. पासबुक लिपिक जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, भोपाल की ओर लेख है कि उक्त आदेश ई-मेल से प्रेषित किये जाने एवं जिला न्यायालय, भोपाल की वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही संपादित करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)